न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 14 / 2013

विजेन्द्रसिंह एवं कैलाशी पुत्रान बदलेराम निवासी लुधावई तहसील व जिला भरतपुर।

.... प्रार्थिया

बनाम

1. परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई नेशनल हाइवे 11 भरतपुर।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी पदेन उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।

......अप्रार्थीगण

याचिका अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1959।

उपस्थितः—

1—श्री नरेश सिंघल अभिभाषक प्रार्थी,

2—श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी न.1

निर्णय दिनांक 22.12.2021

प्रार्थीगण ने यह याचिका अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1959 के तहत इस आशय की पेश की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 को चौड़ा करने के लिये महुआ भरतपुर सैक्शन में भूमि का अर्जन किया जाकर अधिसूचना दिनांक 26.06.2007 को निकाली गई थी। जिसमें याची व उसके गॉव से संबंधित खसरा नम्बरों का जिक्र नहीं था रेस्पोडेन्ट्स की ओर से याची की जायदाद की एन.एच. 11 रोड विस्तारित नाप कराई जा रही थी जिस पर याची की ओर से एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 02 के समक्ष पेश किया गया। तदुपरान्त विपक्षी सं. 2 द्वारा वस्तुस्थिति की मौके पर जानकारी कराकर पुनः दिनांक02.09.2009 को अधिसूचना जारी कर मौके पर जिन लोगों की जायदाद बनी थी उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसमें याची के स्वामित्व और आधिपत्य का एक भूखण्ड जिसमें पुख्ता मकान वाके खसरा नं0 855 आबादी क्षेत्र लुधावई तहसील व जिला भरतपुर में बना हुआ था। जिसमें मकान हाइवे विस्तार के दौरान ध्वस्त हो गया, उक्त अधिसूचना दिनांक 2.9.2009 के बाद याची द्वारा भी अपनी आपत्ति विपक्षी सं0 2 को पेश की लेकिन गैरयाची उसकी आपत्तियों पर गौर नहीं किया और याची से संबंधित खसरा नं0 855 में से 2250 वर्गमीटर भूमि हाईवे विस्तार हेतु अधिगृहित कर याची का हितबद्ध व्यक्तियों के रूप में नाम नहीं मानते हुए एक

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अधिसूचना दिनांक 16.03.2010 को पारित की। तदुपरान्त याची ने पुनः प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट सं0 2 के समक्ष पेश किया किन्तु रेस्पो0 सं0 2 प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया जबकि याची का नाम रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बनवाये गये नक्शा मौका, मुआवजा हेतु बनवायी गयी वैल्यूशन रिपोर्ट में है, इसके बावजूद भी याची को गलत तरीके से मुआवजे से वंचित रखा है। नेशनल हाईवे के विस्तार में आने से याची की जायदाद ध्वस्त हो गई है जिसका वैल्यूएशन रिपोर्ट व बाजारू कीमत के आधार पर 12 लाख रू. मुआवजा राशि, सांत्वना राशि एवं नियमानुसार ब्याज 12 प्रतिशत सालाना प्राप्त करने के अधिकारी है। तहत न्यायालय के अवार्ड से असंतुष्ट होकर धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट में पेश कर अवाप्त की गई भूमि व भवन की मुआवजा राशि बारह लाख रू0 सांत्वना राशि एक लाख रू0 एवं नियमानुसार ब्याज 12 प्रतिशत सालाना दिलवाये जाने निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई ।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये तर्क किया है कि खसरा नम्बर 855 वाके ग्राम लुधावई तहसील व जिला भरतपुर में से नेशनल हाईवे के विस्तार हेतु अवाप्त की कार्यवाही के दौरान 2250 वर्गमीटर भूमि अधिगृहित की गई थी। उक्त खसरा नम्बर गांव की आवादी का नम्बर है, जिस पर प्रार्थी व अन्य व्यक्ति पुख्ता निर्माण कर रिहायश कर रहे थे। अवाप्त की कार्यवाही से प्रार्थी को जायदाद से विस्तापित किया गया। नेशनल हाईवे के विस्तार हेतु खसरा नं0 855 रकवा 2250 वर्गमीटर भूमि की अवाप्ति हेतु 3ए की अधिसूचना दिनांक 17.03.2009 को जारी हुई तथा 3डी की अधिसूचना दिनांक 16.03.2010 को जारी हुई। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी तरफ से आपत्ति को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी द्वारा मौके पर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाई जिसकी प्रमाणित प्रति अप्रार्थी के रिकॉर्ड से लेकर अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, लेकिन अधिसूचना 3डी में प्रार्थी के अस्तित्व को निकालते हुए प्रार्थी के नाम का इन्द्राज मुआवजा सूची में नहीं किया है जबकि वैल्यूएशन रिपोर्ट में प्रार्थी की जायदाद होना प्रमाणित है। लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवॉर्ड पारित करते वक्त इन तथ्यों पर गौर नहीं किया। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3जी (7) में मुआवजे के लिए निम्नांकित मापदण्ड तय किये हैं :–

a- The Market Value of the land on the date of publication of the notification under section 3A.

b. The damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the servering of such land from other land.

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

c. The damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, b reason of the acquisition injusriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings.
d. If, in consequences of the acquisition of the land, the person interested if compelied to change his residence or place of business, the reasonable expenes, if any, incident to such change.

उक्त तथ्यों की ओर ध्यान इंगित कर प्रार्थी ने खसरा नं0 855 वाके ग्राम लुधावई में पुख्ता निर्माण कर रिहायश करने के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावे एवं वैल्यूएशन रिपोर्ट जो अप्रार्थी द्वारा तैयार करायी गयी है जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में पेश की गई है, पर गौर किया जाकर नियमानुसार प्रार्थी को मुआवजा के आदेश पारित किये जावे तथा अन्त में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा याचिका स्वीकार की जाकर समुचित मुआवजा राशि दिलाने के आदेश करने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच ने अपनी वहस तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के भरतपुर महवा खण्ड को चौडा करने हेतु भूमि अवाप्ति हेतु एन.एच.एक्ट की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 10.07.2006 को जारी की गई किन्तु उक्त अधिसूचना में अवाप्त की गई आराजी खसरा नम्बर 855 में से 2250 वर्गमीटर के संदर्भ में अधिसूचना जारी होने से रह गई जिसकी पुनः दिनांक 17.03.2009 को अधिनियम के प्रावधानानुसार 3ए की अधिसूचना जारी की गई जो कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा जो कि उसका अंतिम निर्णय होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना के सबंध में जो आपत्तियां प्राप्त हुई जिनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। निस्तारण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने करने की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26.06.2007 को एवं अवाप्त की गई भूमि 855 में से 2250 वर्गमीटर भूमि जिसका 3ए की पुन अधिसूचना दिनांक 17.3.2009 को जारी की गई के संदर्भ में 3डी की भी अधिसूचना दिनांक 16.3.2010 को जारी की गई जिसमें अवाप्त की गई भूमि की किस्म गै0मु0आबादी दर्ज करते हुऐ मकबूजा सरकार स्वामित्व का उल्लेख किया गया। धारा 3जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी (7) दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उपपंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी एल सी दर के आधार पर किया गया। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

निर्धारण राज्य सरकार के बेसिक शिडयूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 855 वाके ग्राम लुधावई की मुआवजा राशि तय की गई, जिसके अनुसार अवाप्तशुदा रकबे की मुआवजा राशि 1452600/–रू तथा अधिनियम के प्रावधानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार क्षतिपूर्ति राशि 145260/– कुल मुआवजा राशि 1597860/–रू0 का अवार्ड पारित किया गया है, जो कि विधि सम्मत तरीके से सही व उचित पारित किया गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में निराधार एवं वैग तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण को परेशान व कार्य में विघ्न डालने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के संदर्भ में दिनांक 10.7.2006 को 3ए तथा दिनांक 26.6.2007 को धारा 3डी की अधिसूचना जारी की गई। जिसमें खसरा नम्बर 855 का अंकन नही होने पर पुनः दिनांक 17.3.2009 को धारा 3ए एवं दिनांक 16.3.2010 को धारा 3डी जारी की गई जिसमें अवाप्तधीन भूमि की प्रकृति के स्वामित्व में मकबूजा सरकार अंकित है, इसलिए याची का अवाप्ताधीन भूमि खसरा नम्बर 855 वाके ग्राम लुधावई में प्रार्थी/याची का कोई हक,हकूक अधिकार निहित है तो प्रार्थी को पहले सिविल न्यायायालय से स्वामित्व तय कराना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हकव हकूक स्वामित्व नही होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अन्त में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रकरण मं अवाप्त की गई भूमि का स्वामित्व मकबूजा सरकार का है जिसका संपरिवर्तन नही हो सकता है। प्रार्थी का कोई स्वामित्व नही होने के कारण कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी भरतपुर द्वारा अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया है कि मुताबिक जमाबंदी आ0ख0न0 855 ग्राम लुधावई खाता संख्या 1 में राजस्थान सरकार गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की जायदाद की किसी प्रकार की वैल्यूशन रिपोर्ट नही मंगवाई गई थी तथा प्रार्थी को किसी भी प्रकार के मुआवजे की गणना नही की गई है और ना ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। उभयपक्षकारान अभिभाषक के कथनों एवं लिखित बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ भूमि अवाप्ति अधिकारी भरतपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2008 एवं दिनांक 11.11.2010 की छायाप्रति, वैल्यूशन रिपोर्ट की प्रति व शेष अवार्ड आदेश दिनांक 17.6.2011 की प्रमाणित प्रति व मुआवजा राशि निर्धारण प्रपत्र की प्रति पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण अवार्ड दिनांक 16.3.2010 को नेशनल हाइवे संख्या 11 के भरतपुर–महुवा खण्ड का पारित किया गया है वह राजस्व रिकार्ड एवं विधि अनुसार ही पारित किया गया। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2008 एवं दिनांक

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

11.11.2010 की प्रति पेश की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या कार्यालय में आवेदन किये जाने की पुष्टि नही होती है। मुआवजे राशि के अवार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 855 के भूस्वामी हितधारी के नाम में मकबूजा सरकार दर्ज है तथा जिसका रकबा 2250 वर्गमीटर व भूमि के प्रकार में गै0मु0 आबादी दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 में खसरा नम्बर 855 गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड है जो भूमि धारक के रूप में राजस्थान सरकार है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सबंध में अपने स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किये गये है, जिससे प्रमाणित हो सके की अवाप्तशुदा आराजी खसरा नम्बर 855 प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि हो। इस प्रकार प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 855 वाके ग्राम लुधावई पर अपना स्वामित्व सिद्व नही कर पाये है। अवाप्तशुदा भूमि का जो अवार्ड सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वह सही व उचित है। जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से याचिका खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण की याचिका खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर